

मंशुम



पशावली पेशी में की गई। वही कथ पाद
 88 RTA में पेश कर चक 13JRK खाल सं.
 49/14, 16JRK खाल सं. 177/59, चक
 14JRK खाल सं. 134/120 खाल सं. 79/74
 चक 14JRK B खाल सं. 115/52 में दर्ज
 रणतैदा कमला, विक्रम कुमार, विकास
 कुमार पत्नी/पुत्र श्योलाल के खान पर
 पति/पिता का नाम शौलाल उर्फ श्योलाल
 उर्फ शिवलाल करने का अनुतोष याचित
 किया। साइप के रूप में आपुर्वेद चिकित्सा
 अधिकारी राजकीप कौषघालप डेमपुरा,
 सरपंच ग्राह पंचायत डबलीवाल पेमा की
 पुष्टि रिपोर्ट पेश की।
 प्रकरण में NDR डनुमानगढ़ के ऑफिस पंजाब
 नंबर/डबलीवाल/543 डिजांक 15/7/24
 द्वारा मुताबिक वादपत्र मजदरे आन रिपोर्ट
 मिलवाते हुए पुष्टि की है। इसलिस् वाद
 पत्र स्वीकार कर ओडिश दिफ जाते है
 कि चक 13JRK खाल सं. 49/14, चक
 16JRK खाल सं. 177/59, चक 14JRK 'A'
 खाल सं. 134/120 व खाल सं. 79/74 चक
 14JRK (B) खाल सं. 115/52 में वारी व
 पति सं. 2, 3 के पति/पिता का नाम
 श्योलाल की जाह शौलाल उर्फ श्योलाल
 उर्फ शिवलाल कर राजस्व रिपोर्ट किया
 जावे। तहसीलदा डनुमानगढ़ इसी
 अनुसूत राजस्व रिपोर्ट दुफल करे,
 ओडिश आन 128/24 को खुले न्यायालय
 में लुगाया गया। पशावली काविष रफत
 की जाती है।



(Signature)
 सहायक कलेक्टर
 एवं उपखण्डाधिकारी
 हनुमानगढ़

नम्बर 8 तारीख 04/08/2024
 जो हनुमानगढ़ की तारीख
 में जारी हुआ